COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्री मान, राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश,

नि०-984-II-16

श्री एस. पी. अवस्थी- एडवोकेट द्वारा आज दि. 21-3-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रमेश सिंह आ० श्री दशरथ सिंह उम्र 63 वर्ष पेशा ब्यापार निवासी स्टार आटो मोबाइल्स मुख्त्यारगंज सतना तहसील रघुराज नगर जिला सतना म० प्र०- निगराका

बनाम

शासन म० प्र० ----- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० कानून माल

निगरानी बिरूद्ध, आदेश दिनांक 31.1.2006 पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, तहसीलदार मझगवां प्रभारी वृत बरौंधा तह० मझगवां जिला सतना म० प्र० जरिये राजस्व प्रकरण क्र० 32/ए12/2005-06,

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

1:- यह कि तहसीलदार मझगवां वृत बरौंधा जिला सतना म० प्र०, के न्यायालय में निगराकार का नाम पिता का नाम निवासी मुख्त्यारगंज सतना आराजी नं. 268/1ग रकवां 4-00 ए०, मौजा रजौला तह० मझगवां जिला सतना म० प्र०, चौहद्दी उत्तर रीना सिंह, दक्षिण जानकी पटेल पूर्व जंगल बिभाग, पश्चिम सतना चित्रकूट रोड़ बिना दिनांकित एवं बिना हस्ताक्षरित आवेदन पत्र किसी व्यक्ति द्वारा जाली तैयार कर पेश किया, जबकि निगराकार के द्वारा अपने

(66)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-987-दो/2016 जिला सतना

रमेश विरूद्ध शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 09-04-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील महगंवा के प्रकरण क्रमांक 32/ए-12/2005-06 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31-1-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी महगंवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br><br>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी महगंवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।<br><br>(बी.एम.शर्मा)<br>सदस्य | |